



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०,

“खाद्य भवन”, दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक, रोड नं० २, पटना ८००००१

पत्रांक-

12048

दिनांक- 27/11/19

बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम में सहायक प्रबंधक/गुणवत्ता नियंत्रक की संविदा पर नियुक्ति हेतु

विज्ञापन

बिहार राज्य खाद्य निगम के प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन के फलस्वरूप राज्य सरकार/केन्द्र सरकार, राज्य/केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/निगम/बोर्डों/निकायों के सहायक प्रबंधक/गुणवत्ता नियंत्रक के पद से सेवा निवृत्त पदाधिकारियों का संविदा पर नियोजन हेतु योग्य, स्वच्छ छवि वाले एवं शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम, अनुभवी पदाधिकारियों से आवेदन पत्र निर्धारित अर्हता/शर्तें (जो निगम बेवसाईट पर उपलब्ध है) के अनुसार दिनांक 23.12.19 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। उक्त नियोजन के लिए आदर्श रीस्टर के अनुसार रिक्त पदों पर एक वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति की जायेगी तथा उनका कार्यकलाप संतोषजनक पाये जाने पर उनकी संविदा अवधि विस्तार पर विचार किया जायेगा।

सहायक प्रबंधक(संविदा)-174/गुणवत्ता नियंत्रक(संविदा)- 101 पद

1. आवेदक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में एवं अनुसूची 1 से संबंधित सभी अभिलेख की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर दिनांक 23.12.19 तक निश्चित रूप से प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०, ‘खाद्य भवन’ दारोगा राय पथ, आर ब्लॉक, रोड नं.2, पटना 800001 के कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। अर्हता पूरा करने वाले अभ्यर्थियों का चयन रिक्ति एवं आवश्यकता के आलोक में किया जायेगा।
2. संविदा पर नियोजन की शर्तें, आवेदन प्रपत्र, अभ्यर्थियों द्वारा **Website- sfc.bihar.gov.in** तथा किसी भी कार्य दिवस को निगम मुख्यालय (खाद्य भवन) आर०ब्लॉक, रोड नं० 2, पटना के प्रशासन शाखा में देखा जा सकता है।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

अनु०-आवेदन प्रपत्र एवं अनुसूची-1

27.11.19

उप महाप्रबंधक, प्रशासन

संविदा पर नियोजन की अर्हता एवं शर्तें निम्नवत होगी-

1. संविदा आधारित यह नियोजन बिल्कुल अस्थायी एवं औपबंधिक होगा। जैसे ही रिक्ति के विरुद्ध नियमित कर्मी होंगे, यह अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।
2. विज्ञापन की अंतिम तिथि को आयु 64वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 65वर्ष की होगी। चयन हेतु पदाधिकारी का सेवा इतिहास स्वच्छ रहना आवश्यक होगा।
3. अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
4. चयन समिति आवश्यकतानुसार काउंसिलिंग/साक्षात्कार के आधार पर अपनी अनुशंसा देगी।
5. उल्लिखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें बगैर कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
6. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियोजन एवं पदस्थापन आदेश राज्य खाद्य निगम के द्वारा निर्गत किया जायेगा।
7. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
8. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा।
9. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
10. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.7.15 के अनुरूप यथा संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवा निवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवा निवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवा निवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
11. उल्लिखित पदों के लिए सेवा निवृत्त इच्छुक व्यक्ति संलग्न विहित प्रपत्र में अपनी योग्यता, पूर्व धारित पदों का विवरण सहित स्वयं अथवा निर्बंधित डाक से अपना आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फूड एवं सिविल सप्लायज कॉरपोरेशन लि०, 'खाद्य भवन' दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक रोड नं०2, पटना-800001 के पते पर भेजें।
12. आवेदक के विरुद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज न हो।
13. आवेदक शरीरिक रूप से स्वस्थ हो।
14. सेवा निवृत्त इच्छुक कार्मिक अपने आवेदन पत्र के साथ आयु, शैक्षणिक योग्यता, सेवा निवृत्ति से संबंधित कागजातों, पूर्व नियोजक से स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं अपराधिक मामला, गबन अनाचार-कदाचार के संबंध में नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र के साथ प्रतिवेदन दें।
15. इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत क्षति/गबन की वसूली उनके चल-अचल संपत्ति से की जायेगी।

क्र०	पद	स्वीकृत पद	वेतनमान	पदवार वांछित योग्यता	रिक्ति पद
1	सहायक प्रबंधक	635	PB-2+4600 (अपुनरीक्षित)	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न निगम/बोर्ड आदि से सेवा निवृत्त पर्यवेक्षक स्तरीय पदाधिकारी/सहायक प्रबंधक स्तरीय पदाधिकारी/समतुल्य पद धारित पदाधिकारी।	174
2	गुणवत्ता नियंत्रक	101	PB-1+2400 (अपुनरीक्षित)	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न निगम/बोर्ड आदि से सेवा निवृत्त गुण नियंत्रक एवं सेवा निवृत्त समकक्ष स्तरीय पदाधिकारी जिन्हें कृषि स्नातक स्तरीय योग्यता प्राप्त हो।	101

25/11/19

25/11/19

आवेदन प्रपत्र

1. आवेदित पद का नाम-
2. आवेदक का नाम
3. पिता/पति का नाम-
4. अंतिम धारित पद-
5. प्रथम नियुक्ति की तिथि-
6. स्थायी पता-
7. वर्तमान पता-
8. सेवा निवृत्ति की तिथि-
9. सेवा निवृत्ति का पद एवं विभाग का नाम एवं पता जहाँ से सेवा निवृत्त हुए हैं-(सेवा निवृत्ति संबंधित/अभिप्रमाणित साक्ष्य संलग्न करें)
10. जन्मतिथि(प्रमाण पत्र के साथ)-
11. शैक्षणिक योग्यता-
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)-
12. आवेदित पद के अनुरूप योग्यता-
13. अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक वाद/निगरानीवाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है अथवा नहीं।
14. आरक्षण कोटि-
(सक्षम प्राधिकार के स्तर से प्रमाण पत्र संलग्न)
15. सेवा निवृत्ति के अंतिम माह में प्राप्त परिलब्धियाँ-
(LPC /PPO की छाया प्रति संलग्न करें)-
16. दूरभाष/मोबाईल नं०

Paste in
Photograph

तिथि-

स्थान-

हस्ताक्षर

MA
23/11/19

23 11.19

अनुसूची - 1

सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के चयन हेतु अंकों का निर्धारण

	विचारण क्षेत्र	अंक	अधिकतम अंक
1	संबंधित विभाग में उसी पद / समकक्ष पद पर कार्यानुभव	1. 20 वर्ष से अधिक कार्यानुभव - 5 अंक 2. 10 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम कार्यानुभव - 3 अंक 3. 10 वर्ष से कम कार्यानुभव - 2 अंक	5 अंक
2	अन्य विभागों में उसी पद / समकक्ष पद पर कार्यानुभव	1. 20 वर्ष से अधिक कार्यानुभव - 3 अंक 2. 10 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम कार्यानुभव - 2 अंक 3. 10 वर्ष से अधिक कार्यानुभव - 1 अंक	3 अंक
3	सेवा निवृत्ति के उपरान्त उसी विभाग में उसी पद पर संविदा के आधार पर अधिकतम 2 वर्षों तक कार्यानुभव	1. अधिकतम 2 वर्षों का कार्यानुभव - 2 अंक 2. 1 वर्ष से अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम कार्यानुभव - 1 अंक	2 अंक
4	संविदा नियोजन के समय उम्र	1. 60 वर्ष - 5 अंक 2. 61 वर्ष - 4 अंक 3. 62 वर्ष - 3 अंक 4. 63 वर्ष - 2 अंक 5. 64 वर्ष - 1 अंक	5 अंक
5	पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति / कार्यमुल्यांकन प्रतिवेदन	1. प्रति वर्ष उत्कृष्ट अभ्युक्ति के लिए - 2 अंक 2. प्रति वर्ष बहुत अच्छा अभ्युक्ति के लिए - 1.5 अंक 3. प्रति वर्ष अच्छा अभ्युक्ति के लिए - 1 अंक	10 अंक
		कुल अंक	25 अंक

Am
27/11/19

27 11.19